



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021 (ASVINA 9, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

संख्या 48/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में, मद (iv) में, उप-मद (छ) में, "12 AA" अंक और अक्षर के बाद, "या 12कख" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 17 में, खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, -

(अ) मद (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(आ) मद (ii) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी अन्तरण या उसके उपयोग की अनुमति।	9	—";

(ग) क्रम संख्या 26 के सामने,-

(अ) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (ig) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(igक) मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण के सम्बन्ध में जॉब-वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	—";

(आ) मद (iघ) में, "(i), (iक), (iख) और (iग)" कोष्ठक, अक्षर, अंक और शब्द के स्थान पर, "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" कोष्ठक, अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(इ) मद (iv) में, "(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" कोष्ठक, अक्षर, अंक और शब्द के स्थान पर, "(i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" कोष्ठक, अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 27 के सामने,—

(अ) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (i) और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(आ) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (ii) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं"	9	—";

(ङ) क्रम संख्या 34 के सामने, खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (iii) और (iiiक) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं: (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग हो, या (ख) बैले, — नीचे (iiiक) में शामिल किसी स्थान से भिन्न	9	—";
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं — (क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब हो; या (ख) इंडियन प्रीमियर लीग जैसे खेल इवेंट।	14	—";

(च) क्रम संख्या 38 के सामने, खाना (3) में, व्याख्या में, "अनुसूची I की क्रम संख्या 234" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, "अनुसूची II की क्रम संख्या 201 क" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) सारणी (सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम) में, क्रम संख्या 118 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"118क"	समूह 99654		भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन"।

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2021

No. 48/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1), (3) and (4) of Section 9, Sub-section (1) of Section 11, Sub-section (5) of Section 15, Sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3) ,in item (iv), in clause (g), after the figures and letters “12AA”, word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(b) in serial number 17, -

(A) item (i) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	9	-”;

(c) against serial number 26, in column (3), -

(A) after item (ic) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	9	-”;

(B) in item (id), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib) and (ic)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)” shall be substituted;

(C) in item (iv), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)” shall be substituted;

(d) against serial number 27,-

(A) item (i) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	9	-”;

(e) against serial number 34, for items(iii) and (iiia)and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to; (a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry- go rounds, go carting, or (b) ballet, - other than any place covered by (iiia) below	9	-
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or(b)sporting events like Indian Premier League.	14	-”;

- (f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter “ 234 of Schedule I”, the figures, letter and words “ 201A of Schedule II” shall be substituted;
- (ii) in the “Annexure: Scheme of Classification of Services”, after serial number 118 and the entries thereagainst, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“118a	Group 99654		Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b		996541	Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.